संख्या:18/2026/491/35-4-2026/35-4002(003)/72/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्तसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 28 मार्च,2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1966/त्व0आ0वि0/प्रस्ताव/2025-26 दिनांक 16.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-वाराणसीमें निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू. **6340.35** लाख (रूपये **तिरेसठ करोड़ चालीस लाख पैंतीस हज़ार** मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू.**3043.00** लाख (रूपये **तीस करोड़ तैंतालीस लाख**मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	ग्राम सभा रामसिंहपुर में पंचकोशी मार्ग से निकलकर शिवपुजन के घर से होते हुए आबादी तक।	500	30.99	14.00	ग्रा.अ.वि.
2	भोजूबीर- सिंधौरा मार्ग से श्री धर्मबीर टेलर्स के समीप से भैठौली अनु० जाति बस्ती होते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क तक पक्के मार्ग का निर्माण।	950	24.99	11.00	ग्रा.अ.वि.
3	ग्राम सभा सुलेमापुर भट्ट पटेल कि दुकान के सामने से शिवरामपुर बैजनाथ कन्नौजिया के घर तक नव निर्माण कार्य	2000	74.29	33.00	ग्रा.अ.वि.
4	महदेपुर विकास खण्ड हरहुआ में पुआरी खुर्द शारदा नहर से समशेर सिंह के ट्यूबेल से होकर अनुसूचित जाति बस्ती तक पक्की सड़क का नव निर्माण कार्य।	1200	64.76	29.00	ग्रा.अ.वि.
5	ग्राम रामपुर चन्द्रावती में श्री रामप्यारे विश्वकर्मा के घर से श्री राजकुमार विश्वकर्मा के घर तक पक्के मार्ग का निर्माण कार्य।	700	40.44	18.00	ग्रा.अ.वि.
6	ग्राम सरैया में श्री सुरेश सोनकर के घर से श्री रामकिशुन सोनकर के घर तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	400	23.68	11.00	ग्रा.अ.वि.
7	ग्राम बेला में श्री घरबारू मौर्या के घर से बाबा साहब मंदिर तक तिवारीपुर मार्ग पक्के मार्ग का निर्माण कार्य।	550	39.52	18.00	ग्रा.अ.वि.
8	ग्राम मवइया के लाखी मार्ग के मध्य से श्री अमरनाथ पटेल के घर से होते हुए राजभर बस्ती तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	2700	99.82	45.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
9	काजीसराय अनु०जाति बस्ती से पटेल बस्ती तक।	900	65.98	30.00	ग्रा.अ.वि.
10	ग्राग लश्करपुर में मुख्य मार्ग से अनु०जाति आबादी तक पक्के मार्ग का निर्माण कार्य।	650	37.2	17.00	ग्रा.अ.वि.
11	**वार्ड नरिया स्थित गांधीनगर में सामुदायिक केन्द्र एवं सड़क एवं चहारदीवारी निर्माण कार्य।**		333.94	150.00	ग्रा.अ.वि.
12	**सरायनंदन के बृज इन्क्लेव कॉलोनी में डा० एस० पी० घोष के आवास से धैर्य अपार्टमेंट से होते हुए गिरजाशंकर पाण्डेय के आवास तक नाली, पटरी एवं पिच मार्ग निर्माण कार्य।**	560	102.32	46.00	ग्रा.अ.वि.
13	**भगवानपुर के सर्वेश्वरी नगर कॉलोनी में रामा छात्रावास से श्री केशव सिंह के आवास तक भूमिगत जल निकासी एवं सी० सी० रोड निर्माण कार्य**	330	41.01	18.00	ग्रा.अ.वि.
14	**गांधी नगर से सरायनन्दन को जोड़ने वाले नाले पर पुलियां सहित सड़क निर्माण का कार्य।**		26.98	12.00	ग्रा.अ.वि.
15	**सीता रसोई रेस्टोरेंट से लेकर नाले तक सड़क, पटरी एवं नाली निर्माण कार्य**	560.5	69.48	31.00	ग्रा.अ.वि.
16	**दयाल टावर के सामने से पद्मश्री चौराहा तक सड़क एवं नाली निर्माण**	245	29.37	13.00	ग्रा.अ.वि.
17	**कृतिवाशेश्वर वार्ड के सभी आतंरिक गलियों का निर्माण**	3150	238.53	107.00	ग्रा.अ.वि.
18	**काशीपूरा चौराहे से नखास होते हुए शरद बहार तक सड़क, पटरी एवं नाली निर्माण कार्य**	300	15.68	7.00	ग्रा.अ.वि.
19	**पियरी पुलिस चौकी से चेतगंज चौराहे तक सड़क, पटरी एवं नाली निर्माण कार्य**	350	17.5	8.00	ग्रा.अ.वि.
20	**मैदागिन पेट्रोल पम्प से महामृत्युंजय मंदिर मार्ग तक सड़क नाली पटरी का निर्माण कार्य**	430	28.03	13.00	ग्रा.अ.वि.
21	**जैतपुरा थाने से होते हुए छोहरा छमुहानी से होते हुए जी०टी० रोड तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य**	700	40.37	18.00	ग्रा.अ.वि.
22	**जैतपुरा छमुहानी से आदमपुर थाने तक सड़क, पटरी एवं नाली निर्माण कार्य**	600	33.06	15.00	ग्रा.अ.वि.
23	**कालभैरव चौराहे से महामृत्युंजय मंदिर तक सड़क नाली एवं पटरी का निर्माण कार्य**	400	31.19	14.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
24	परशुरामपुर मतदान केन्द्र की गली में 100 मी0 कच्ची सड़क पर इंटरलाकिंग का कार्य	120	6.97	3.00	ग्रा.अ.वि.
25	बल्लभ बिहार कालोनी, तिब्बती संस्थान रोड के 129 मीटर का लेपन करवाने के संदर्भ मे	130	11.15	5.00	ग्रा.अ.वि.
26	वार्ड तरना गौतम गार्डेन कॉलोनी सुदधीपुर में श्री रामजी लाल के आवास ए-35 की चहरदीवारी से होकर ए-39 के बाद खाली प्लाट तक एवं उससे सटे दो छोटे छोटे उपमार्ग कुल दूरी 150 मी पर इंटरलाकिंग का कार्य	232.5	21.55	10.00	ग्रा.अ.वि.
27	वार्ड अकथा पैगंबरपुर से श्रीराम पी०जी० कालेज के पास से दुखरण बाबा मंदिर तक कच्चे मार्ग का नव निर्माण कार्य	223	25.92	12.00	ग्रा.अ.वि.
28	अकथा वार्ड अंतर्गत वाराणसी गाजीपुर मार्ग के किमी0-04 से सार्थक सर्जिकल हास्पिटल होते हुए ग्राम अकथा तक सड़क नव निर्माण का कार्य	188.5	10.77	5.00	ग्रा.अ.वि.
29	वार्ड नारायणपुर अंतर्गत साई धाम कॉलोनी में शिव मंदिर से मृत्युंजय सिंह के म० शी 5/48-सी-15 एम से दीनानाथ सिंह के मकान शी 5/48 क 15-डी होते हुए स्व० यादवेन्द्र प्रताप सिंह के मकान शी 5/48 के-1के से होते हुए कुंडेश्वर नाथ ओझा तक सड़क निर्माण	125	11.56	5.00	ग्रा.अ.वि.
30	वार्ड रमरेपुर अंतर्गत चित्र गुप्त नगर कॉलोनी में मोहन विश्वकर्मा के मकान सा 5/176 से होते हुए आर दिन राय के मकान सा 5/129 जी-2-एम के मकान से होते हुए सुधीर श्रीवास्तव के म० सा 5/128 एम-2 पाठक के मकान-सा 5/176 एफ एफ से होते हुए च एसडबल्यू० सुरेन्द्र पटेल जी के मकान तक चौका पर इंटर लाकिंग का कार्य	315	22.32	10.00	ग्रा.अ.वि.
31	वार्ड रमरेपुर अंतर्गत संकठा नगर कॉलोनी में छन्नु गुप्ता के मकान सा 3/15 से गंगासागर तिवारी के मकान से महात्मा यादव के मकान होते हुए ए के सिंह के मकान सा 3/16-21 से होते हुए शंकर भगवान मंदिर तक कच्ची सड़क पर इंटर लाकिंग का कार्य	850	60.9	27.00	ग्रा.अ.वि.
32	वार्ड सारनाथ में कोरिया मंदिर से दाहिने तरफ कॉलोनी में अरविंद त्रिपाठी के मकान तक 700 मी० कच्चे रास्ते पर इंटरलाकिंग का कार्य	1600	81.79	37.00	ग्रा.अ.वि.
33	नारायनपुर वार्ड अंतर्गत लक्ष्मनपुर में मनोज सिंह के मकान नं० एस एच 5/112 आर से शिव मंदिर तक सीवर व सड़क निर्माण का कार्य	138	15.45	7.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
34	रमरेपुर वार्ड अंतर्गत आजमगढ़ रोड स्थित मस्जिद से होते हुए रसूलपुर रोड तक जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य	1000	30.37	14.00	ग्रा.अ.वि.
35	पहड़िया वार्ड अंतर्गत आनंदपुर देवेन्द्र सिंह पप्पू के घर से राजेंद्र सिंह के मकान तक सड़क निर्माण का कार्य	225	18.24	8.00	ग्रा.अ.वि.
36	जगतगंज वार्ड अंतर्गत लच्छीपुर कालोनी एल-2 से एल 12 तक सड़क निर्माण कार्य	125	4.9	2.00	ग्रा.अ.वि.
37	अनमोल नगर कालोनी में मकान न. 6/22-AU से म. न. 11/89-A तक कच्ची सड़क को पक्की करने के सन्दर्भ में	237.5	12.25	6.00	ग्रा.अ.वि.
38	वार्ड नई बस्ती में मकान नं० एस 9/172 डा० वैजनाथ से लेकर एस 9/181 डा० सतीश शुक्ला तक इंटरलाकिंग नव निर्माण का कार्य	199	12.04	5.00	ग्रा.अ.वि.
39	वार्ड नई बस्ती मकान नं० 9/67-ए रंगीले सोनकर के सामने कच्ची गली में मौर्या जी सिपाही तक इंटरलाकिंग का कार्य	242	17.04	8.00	ग्रा.अ.वि.
40	वार्ड नई बस्ती में मकान नं० एस 9/142-एच-33 स्व० सुखदेव सेठ के घर से एस 9/34- धर्मेन्द्र राय के घर तक नाला से कुए तक इंटर लाकिंग का कार्य	188	12.32	6.00	ग्रा.अ.वि.
41	वार्ड सरसौली में मीरापुर बसही बरन बाबा मंदिर के सामने से त्रिवेणी सोनकर के मकान तक इंटरलाकिंग का कार्य	165	13.51	6.00	ग्रा.अ.वि.
42	वार्ड सरसौली में कुमार प्रेट्रोल पम्प के सामने शिव मेडिकल से ज्ञानोदय स्कूल तक इंटर लाकिंग व जल निकासी का कार्य	215	21.1	9.00	ग्रा.अ.वि.
43	वार्ड अकथा में तदीया चकबिही में संकठा मौर्या के दुकानस ए लेकर राम लाखांस फूल तक गली का नव निर्माण कार्य	232	16.47	7.00	ग्रा.अ.वि.
44	वार्ड दानियाल्पुर में पंचकोशी रोड रेलवे क्रासिंग के पहले दुर्गा नगर कालों सेक्टर नंबर 2 अभिमन्यु मौर्या व पप्पू सोनकर के मकान से अशोक पाण्डेय के मकान अक कच्चे रास्ते पर क्रेसी ड्रेन व् इंटर लाकिंग का कार्या लम्बाई 200 मी०	265	23.3	10.00	ग्रा.अ.वि.
45	वार्ड दनियालपुर में पंचकोशी चौराहा से शुक्ला मेडकल के बगल वाली गली से मंगल सेठ के मकान होते हुए दीत्रायीर बाबा मंदिर होते हुए चौरा माता मंदिर तक सडक निर्माण ल० लगभर 300 भी०	300	21.33	10.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
46	**वार्ड दनियालपुर में पंचकोशी चौराहा चौरा माता मंदिर विमला देवी के मकान से सूरज कन्नौजिया विक्की मदन लाल के मकान होते हुए राजेश मौर्या के मकान हॉट एहुर प्रमोद यादव के मकान होट एहुए बब्लू सेठ के मकान होते हुए प्रमोद यादव के मकान तक ल० लगभग 500 मी सड़क निर्माण का कार्य**	500	30.2	14.00	ग्रा.अ.वि.
47	कुआर-कठिरांव मार्ग से राजस्व ग्राम दारापुर में उमाशंकर पटेल (प्रधान) के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य वि.ख. बड़ागांव ।	300	12.24	6.00	ग्रा.अ.वि.
48	ग्राम सभा नदोय में मेन रोड से नहर के बाहा तक तक सड़क नव निर्माण का कार्य वि.ख. पिण्डरा ।	500	22.6	10.00	ग्रा.अ.वि.
49	ग्राम सभा भदेवली में नागेन्द्र सिंह के घर से पिच रोड तक सड़क नव निर्माण का कार्य वि. ख. पिण्डरा ।	575	26.79	12.00	ग्रा.अ.वि.
50	ग्राम सभा पतिराजपुर में हरिलाल राजभर के घर से धीरू चौहान के घर तक सड़क नव निर्माण का कार्य वि.ख. पिण्डरा।	500	19.71	9.00	ग्रा.अ.वि.
51	गाम सभा छेड़ापुर में श्रीराम कोटेदार के घर से अजय गौड़ के खेत तक पिच रोड का निर्माण कार्य विकास खण्ड बड़ागांव ।	725	28.18	13.00	ग्रा.अ.वि.
52	ग्राम पंचायत मानी में कल्लू पटेल के घर से होते हुए महेश सिंह के घर तक सड़क नव निर्माण का कार्य वि.ख. पिण्डरा ।	700	26.55	12.00	ग्रा.अ.वि.
53	ग्राम सभा विक्रमपुर में जग्गी राजभर के घर से जितेन्द्र पटेल के घर तक सड़क नव निर्माण का कार्य वि.ख. पिण्डरा।	700	26.52	12.00	ग्रा.अ.वि.
54	ग्राम सभा बरवां में फूलपुर सिन्धोरा रोड से विश्वकर्मा बस्ती होते हुए पंचायत भवन तक नव निर्माण का कार्य वि.ख. पिण्डरा।	600	25.26	11.00	ग्रा.अ.वि.
55	ग्राम सभा ढोढ़ईपुर में अनेई नहर के पास पंचायत भवन होते हुए चकभटान चौरा माता मन्दिर सड़क नव निर्माण का कार्य वि.ख. बड़ागांव।	800	36.2	16.00	ग्रा.अ.वि.
56	ग्राम सभा धनन्जयपुर में किरत पाण्डेय के घर से पाल बस्ती तक सड़क नव निर्माण का कार्य	800	29.73	13.00	ग्रा.अ.वि.
57	ग्राम सभा कविरामपुर में गजराज पटेल के घर से मुख्य मार्ग बड़ागांव राम प्रसाद के दुकान तक सड़क नव निर्माण का कार्य वि.ख. बड़ागांव।	1120	47.95	22.00	ग्रा.अ.वि.
58	ग्राम सभा बूंची में पक्की सड़क से कोर्रा भानपुर पक्की सड़क तक सड़क नव निर्माण का कार्य वि.ख. बड़ागावं।	620	26	12.00	ग्रा.अ.वि.

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
59	ग्राम सभा बचौरा में देवचन्द पटेल के खेत से राजेन्द्र पटेल के खेत तक पिच रोड का निम्प्रण कार्य विकास खण्ड बड़ागांव।	530	27.23	12.00	ग्रा.अ.वि.
60	ग्राम सभा भरथरा/खटौरा में नकटाबीर (श्री हनुमान जी) से नहर तक सड़क का निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 900 मी० कार्य विकास खण्ड बड़ागांव ।	725	32.04	14.00	ग्रा.अ.वि.
61	ग्राम सभा साईपुर में साईपुर विरांव पिच रोड हसनपुर हरिजन बस्ती से साईपुर गांव सभा तक सड़क का निर्माण कार्य विकास खण्ड बड़ागांव ।	675	32.8	15.00	ग्रा.अ.वि.
62	पिण्डरा पिच मार्ग से झंझौर स्कूल बाउण्ड्री से होते हुए नेवारी (झंझौर) मार्ग तक सड़क नव निर्माण का कार्य वि.ख. पिण्डरा	800	47.81	22.00	ग्रा.अ.वि.
63	मीराशाह कठिरांव मार्ग पर ग्राम सभा थाना में दीपचन्द गुप्ता के घर से कुंवर सिंह के घर होते हुए हरिजन बस्ती तक इण्टरलॉकिंग का कार्य वि.ख. पिण्डरा।	600	32.86	15.00	ग्रा.अ.वि.
64	**वार्ड संख्या-39 सुसुवाही में नीलकण्ठ पुरम कॉलोनी में मुख्य मार्ग से जितेंद्र पटेल के घर तक सड़क एवं जल निकासी कार्य।**	350	45.09	20.00	ग्रा.अ.वि.
65	**वार्ड संख्या-39 सुसुवाही विश्वकर्मा नगर कॉलोनी में पटेल जी के मकान से लाल बहादुर के घर होते हुये अशोक के घर से इण्टरलॉकिंग तक सड़क एवं जल निकासी कार्य।**	350	51.37	23.00	ग्रा.अ.वि.
66	**वार्ड संख्या-39 सुसुवाही धर्मवीर नगर कॉलोनी में मुख्य मार्ग से नाले तक जल निकासी एवं लेन नंबर-2 से गौतम नगर गेट तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।**	550	63.55	29.00	ग्रा.अ.वि.
67	**वार्ड संख्या-19 कन्दवा, में पटेल बस्ती घमहापुर में पप्पू पटेल के मकान से धमेन्द्र पटेल के घर से आशीष पटेल के मकान तक भूमिगतम पाईप लाईन जल निकासी व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य**	750	64.25	29.00	ग्रा.अ.वि.
68	**वार्ड संख्या-19 कन्दवा बरईपुर में लाल बहादुर चौरसिया के मकान से शीतल प्रजापति के मकान होते हुए सुरेंद्र सिंह के मकान तक भूमिगत पाइप लाइन जल निकासी एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।**	200	27.91	13.00	ग्रा.अ.वि.
69	**वार्ड संख्या-19 कन्दवा चौरसिया के मकान से भानु प्रताप के मकान से दी बाबा मंदिर तक भूमिगत पाइपलाइन जल निकासी एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।**	400	59.94	27.00	ग्रा.अ.वि.
70	**वार्ड संख्या-57 छित्तूपुर खास में जगन्नाथ प्रधान के घर से वैष्णो नगर में रोड तक जल निकास एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।**	450	52.91	24.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
71	**वार्ड संख्या-57 छित्तूपुर खास में राजू बानिया के दुकान से मंगल विश्वकर्मा के घर होते हुए प्रमोद जनरल स्टोर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।**	500	38.43	17.00	ग्रा.अ.वि.
72	**देल्हना में पांचू राजभर के घर से अष्टभुजा मन्दिर होते हुये तालाब तक जल निकासी कार्य लम्बाई लगभग-1.00 किमी०।**	900	30.86	14.00	ग्रा.अ.वि.
73	**सहबाजपुर में सहबाजपुर बस्ती से होते हुये बुड़ापुर सरहद बाहा तक जल निकासी कार्य लम्बाई लगभग-1.00 किमी०।**	1100	38.06	17.00	ग्रा.अ.वि.
74	**सरहरी में राजेंद्र प्रधान के घर से सुनील पाण्डेय के मकान तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य लम्बाई लगभग -0.700 किमी०।**	800	27.45	12.00	ग्रा.अ.वि.
75	ग्राम गुड़िया में पिच रोड से रेलवे लाईन तक सड़क निर्माण कार्य।	540	19.54	9.00	ग्रा.अ.वि.
76	ग्राम ठठरा पिच रोड से मौनीबीर होते हुए बिहड़ा बार्डर तक सड़क निर्माण कार्य।	1550	58.22	26.00	ग्रा.अ.वि.
77	ग्राम परषोत्तमपुर पिच रोड से माता धाम पिच रोड तक सड़क निर्माण कार्य।	1265	48.52	22.00	ग्रा.अ.वि.
78	ग्राम मानापुर छतेरी पिच रोड से पहलवान बीर बाबा से जोगियापुर तक सड़क निर्माण कार्य।	1350	67.89	31.00	ग्रा.अ.वि.
79	ग्राम इसरवार पिच रोड से पाल बस्ती तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	725	74.62	34.00	ग्रा.अ.वि.
80	ग्राम दिलावलपुर पिच रोड दया पटेल के खेत से रामपुर पिच रोड तक सड़क निर्माण कार्य।	880	45.04	20.00	ग्रा.अ.वि.
81	ग्राम बरकी पिच रोड से पूरेनन्दापुर तक सड़क निर्माण कार्य।	1100	46.39	21.00	ग्रा.अ.वि.
82	ग्राम अषाढ़ में लालमन पटेल के खेत पिचरोड़ से बच्चा सिंह खेत नरायणपुर खजुरी मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य।	730	31.81	14.00	ग्रा.अ.वि.
83	ग्राम प्रतापपुर में श्यामधर मिश्रा के मकान प्रतापपुर पिचरोड से डीहबाबा मन्दिर तक सड़क निर्माण कार्य।	1230	38.56	17.00	ग्रा.अ.वि.
84	ग्राम लच्छापुर में पिच रोड से लच्छापुर गांव गेट तक सड़क निर्माण कार्य।	920	35.12	16.00	ग्रा.अ.वि.
85	ग्राम रामसिंहपुर, बिरबलपुर अम्बेडकर मूर्ति से सरकारी ट्यूबेल नाली तक सड़क निर्माण कार्य।	1120	40.53	18.00	ग्रा.अ.वि.
86	मिश्रपुरा में हरिजन बस्ती में इण्टरलाकिंग / सड़क निमाण कार्य।	2210	74.88	34.00	ग्रा.अ.वि.
87	अमरपट्टी राजभर बस्ती में इण्टङ्गलाकिंग / सड़क निर्माण कार्य।	1210	60.03	27.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
88	गोपपुर मेन रोड़ से श्री सुनील के विद्यालय तक इण्टरलाकिंग / सड़क निर्माण कार्य।	200	10.75	5.00	ग्रा.अ.वि.
89	नई बाजार में मेन रोड़ से डा० आर०के० सिंह के हास्पिटल होते हुए आखिरी छोर तक सड़क का पुनर्निर्माण कार्य।	1310	48.94	22.00	ग्रा.अ.वि.
90	ग्राम सभा संथवा में विश्वनाथ सिंह के प्लाट होते हुए आखिरी छोर तक सड़क निर्माण कार्य।	310	22.28	10.00	ग्रा.अ.वि.
91	ग्राम सभा पिसौर में मेन रोड़ से राजभर बस्ती तक सड़क का पुनर्निर्माण कार्य।	1600	58.65	26.00	ग्रा.अ.वि.
92	ग्राम सभा पिसौर में राजभर बस्ती में आन्तरिक भाग में इण्टरलाकिंग / सड़क निर्माण कार्य।	600	31.38	14.00	ग्रा.अ.वि.
93	ग्राम सभा कोटवा में कोटया चौराहे से कमौली चौराहे तक सड़क का पुनर्निर्माण कार्य।	1630	46.82	21.00	ग्रा.अ.वि.
94	ग्राम सभा मोकलपुर चौराहा से सोता तक इण्टरलाकिंग / सड़क निर्माण कार्य।	1270	68.25	31.00	ग्रा.अ.वि.
95	ग्राम सभा फूलपुर में मेन रोड़ से ऑगनबाड़ी होते हुए श्री श्यामराज करतार के खेत तक इण्टरलाकिंग / सड़क निर्माण कार्य।	170	14.55	7.00	ग्रा.अ.वि.
96	ग्राम सभा सरसौल चकमार्ग से श्रीप्रकाश के घर होते हुए आखिरी छोर तक इण्टरलाकिंग/सड़क निर्माण कार्य।	1600	74.88	34.00	ग्रा.अ.वि.
97	बाबतपुर वाराणसी नहर बड़ागांव मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम-शाहपुर गेट से सरोवर के चारो तरफ होते हुये अमीत कुमार के प्लाट एवं प्रशान्त चर्तुवेदी के मकान तक	550	26.13	12.00	ग्रा.अ.वि.
98	स्मृति कॉलेज जाल्हूपुर अम्बा रोड से ग्राम-जाल्हूपुर वाराणसी सरहद तक	3000	135.64	61.00	ग्रा.अ.वि.
99	नवीन टेन्ट सरसौली वाराणसी से रमेश मिस्त्री के घर तक	800	74.65	34.00	ग्रा.अ.वि.
100	कबीर नगर कॉलोनी सुसवाही वाराणसी वृन्दावन में कवीर वाटिका से होते हुये रितिका जनरल स्टोर से मास्टर साहब के घर होते हुऐ शिला देवी चौरसिया के घर तक	200	23.56	11.00	ग्रा.अ.वि.
101	खसरा रायपुर (अरका) ब्लॉक सेवापुरी वाराणसी ओटर बिंद के घर से हरिजन बस्ती होते हुए गरीब के घर तक	350	23.48	11.00	ग्रा.अ.वि.
102	गाजीपुर राष्ट्रीय मार्ग 29 से कल्याणी हॉस्पिटल होते हुए प्रदीप सिंह के घर होते हुए कन्या जूनियर हाई स्कूल उमरहा तक वाराणसी	400	23.58	11.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
103	वार्ड नं0 56 ग्राम ऐढ़े कामता नगर, वाराणसी में श्री सूक्खू प्रजापति के घर से होते हुए अशोक कुमार पाण्डेय के घर तक इण्टर' लाकिंग व जल निकासी का कार्य	275	20.94	9.00	ग्रा.अ.वि.
104	ग्राम-हृदयपुर ब्लॉक चिरईगांव वाराणसी लिंक रोड से बद्री राजभर के घर तक।	350	21.04	9.00	ग्रा.अ.वि.
105	ग्राम-गंजारी, मौजा डीह आराजी लाईन, वाराणसी मोहन सिंह के पम्पिंग सेट से होते हुए राकेश घर दूवे के घर के सामने तक।	350	30.6	14.00	ग्रा.अ.वि.
106	ग्राम पंचायत जक्खिनी वाराणसी विकास खण्ड आराजी लाईन्स में खैरा रोट से जगदीश मौर्य के कटरे से विजय के घर तक	500	37.27	17.00	ग्रा.अ.वि.
107	ग्राम पंचायत मोलनापुर क्षेत्र पंचायत चोलापुर में वाराणसी-गाजीपुर राजमार्ग से कम्पोजिट विद्यालय मोलनापुर से होते हुए पारसनाथ पाण्डेय के घर तक।	400	28.12	13.00	ग्रा.अ.वि.
108	ग्राम-अखिरी वाराणसी में वीनस महिला महाविद्यालय के आगे गुल्लू आखरी के मकान से लेकर नमिता राय के प्लॉट तक	700	32	14.00	ग्रा.अ.वि.
109	खालीसपुर पिण्डरा ब्लॉक वाराणसी गोड़ियां परसरा पिण्डरा मार्ग से स्व० राधेश्याम मिश्र प्रधानाचार्य के घर तक।	310	23.11	10.00	ग्रा.अ.वि.
110	विधानसभा रोहनियां के ग्रामसभा-सराडंगरी में बहादुर ठेकेदार के मकान से लेकर रमेश पटेल के मकान तक रोड निर्माण कार्य लम्बाई लगभग-500 मीटर।	500	38.4	17.00	ग्रा.अ.वि.
111	विधानरागा रोहनियां के चितईपुर में चितईपुर थाने के गेट से लेकर हरी प्रसाद पटेल के मकान तक लम्बाई जगगग-800 मीटर।	1000	58.58	26.00	ग्रा.अ.वि.
112	विधानसभा-शिवपुर के गोईठहॉ में मेन रोड से विनोद उपाध्याय बब्बू जी के मकान तक लम्बाई लगभग-600 गीटर।	700	52.77	24.00	ग्रा.अ.वि.
113	विधानसगा रोहनियां में चितईपुर-चुनार मार्ग से शिवधाम नगर कॉलोनी के आन्तरिक भाग तक लम्बाई लगभग-500 गीटर।	1000	55.35	25.00	ग्रा.अ.वि.
114	विधानसगा रोहनियां के ग्रामसभा-मड़ॉव में राजेश मौर्या के दुकान से देवनाथ यादव के मकान से होते हुए रेलवे लाईन तक कार्य लम्बाई लगभग 600 मीटर।	600	39.74	18.00	ग्रा.अ.वि.
115	विधानसभा रोहनियां के ग्रामसभा-अमराखैरा में सोनू मौर्या के मकान से होते हुए धीरेन्द्र सिंह के बाउण्ड्री तक लम्बाई लगभग-01 कि०मी०।	1000	66.29	30.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
116	विधानसभा-रोहनियां के ग्रामसभा-अखरी में विजय के मकान से लेकर शिवन्या टेन्ट हाउस तक रोड निर्माण का कार्य लग्बाई लगभग 800 मीटर।	850	40.99	18.00	ग्रा.अ.वि.
117	विधानसभा-रोहनिया के ग्रामसभा--जगरदेव में सूर्यबली के मकान से मडुआडीह बाबा मंदिर तक रोड निर्माण का कार्य लम्बाई लगभग-01 कि०मी००।	900	68.62	31.00	ग्रा.अ.वि.
118	विधानसभा- रोहनियां के ग्राम-टिकरी में कुश के मकान से होते हुए बजरंगी के मकान से राजभर बस्ती पिच रोड तक लग्बाई लगभग-01 कि०मी० ।	1000	49.01	22.00	ग्रा.अ.वि.
119	विधानसभा-रोहनियां, वि०खं०-काशी विद्यापीठ के ग्राम-बन्देपुर खुशहारी में पीच रोड से ओमकार पाल के मकान तक रोड व जल निकासी का कार्य लम्बाई लगभग-350 मीटर।	400	29.3	13.00	ग्रा.अ.वि.
120	कुण्डरिया बेनीपुर पिच रोड से हरिजन बस्ती से होते हुए मनीष सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	530	37.73	17.00	ग्रा.अ.वि.
121	ग्राम सभा खजुरी में एन०एच०-2 पर विनोद सिंह के मकान से रखौना पीच मार्ग तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	1150	96.67	44.00	ग्रा.अ.वि.
122	ग्राम सभा जक्खिनी में रंजीत सिंह के मकान से होते हुए चन्द्रमा सिंह के मकान से होते हुए विजय यादव के मकान से होते हुए पंचम यादव के मकान से होते हुए लक्ष्मण के बारी के पास तक मार्ग का निर्माण कार्य।	800	75.08	34.00	ग्रा.अ.वि.
123	ग्राम बीरबलपुर में पिच रोड से रामचन्द्र के खेत से रमाशंकर सिंह के खेत के पास तक नहर के पुल तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	520	44.24	20.00	ग्रा.अ.वि.
124	ग्राम सभा सिखड़ी में भूमिहार बस्ती में राजभर बस्ती होते हुए यादव बस्ती तक आर०सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	320	23.62	11.00	ग्रा.अ.वि.
125	ग्राम रैसीरामपुर (पट्टी) में मेन रोड से शंकर जी के मन्दिर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	370	17.14	8.00	ग्रा.अ.वि.
126	ग्राम पंचायत दिलावलपुर में केदार यादव के घर से माता सेवक सिंह के माषीन तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	646	44.51	20.00	ग्रा.अ.वि.
127	ग्राम भीषमपुर में जवाहर राजभर के मकान से किशोर पाल के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	790	62.81	28.00	ग्रा.अ.वि.
128	ग्राम खोचवां में पिच रोड से केसरा बस्ती होते हुए अखिलेश सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	575	33.26	15.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
129	विकास खण्ड आराजीलाईन ग्राम पंचायत सिहरवा में ठाकुर प्रसाद सिंह के घर से सिहोरवा हरिजन बस्ती तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	510	34.62	16.00	ग्रा.अ.वि.
130	मरूई में हरिजन बस्ती तक तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	500	32.73	15.00	ग्रा.अ.वि.
131	ग्रामसभा सिंगही से जयापुर तक रोड निर्माण कार्य दूरी 1 किलोमीटर।	1100	35.11	16.00	ग्रा.अ.वि.
132	पोखरी नं0 240 व 241 से लेकर धानापुर बार्डर तक पक्की नाली ढक्कन सहित कार्य की लम्बाई 500 मीटर।	650	66.06	30.00	ग्रा.अ.वि.
133	ग्राम पंचायत दीपापुर में स्थित पिच रोड से प्रा.वि. तक रोड निर्माण कार्य लम्बाई 500 मीटर, चौड़ाई 3.50 मीटर।	600	39.68	18.00	ग्रा.अ.वि.
134	राधेश्याम यादव के घर से सम्पूर्ण बस्ती होते हुए बड़ी बाहा तक रोड निर्माण कार्य लम्बाई 450 मीटर।	500	33.96	15.00	ग्रा.अ.वि.
135	हनुमान मन्दिर से प्रेमचन्द श्रीवास्तव के घर तक रोड निर्माण कार्य।	150	8.02	4.00	ग्रा.अ.वि.
136	जी.टी. रोड राजातालाब से रिंग रोड तक सड़क के किनारे पक्की नाली यू टाईप नाला निर्माण कार्य, लम्बाई 500 मीटर।	2300	233.32	105.00	ग्रा.अ.वि.
137	पचक्रोशी मार्ग रामेश्वर से पेडुका पिच रोड से नन्दलाल सिंह के बगीचा होते हुए धोबी बस्ती तक रोड निर्माण कार्य दूरी 900 मीटर।	900	49.74	22.00	ग्रा.अ.वि.
138	लालमन के मकान से साधु के मशीन तक रोड निर्माण कार्य, लम्बाई 500 मीटर चौडाई 2.5 मीटर।	500	20.71	9.00	ग्रा.अ.वि.
139	ग्राम पंचायत बडौरा में मुन्ना सिंह के मशीन से नवलपुर गांव तक 500 मीटर रोड निर्माण कार्य।	500	15.68	7.00	ग्रा.अ.वि.
140	भाऊपुर कालिका धाम मार्ग से निकलकर सेवापुरी ब्लाक मार्ग तक चौडीकरण का कार्य।	1390	61.81	28.00	लो.नि.वि.
141	बनौली एस0बी0 कॉन्वेंट स्कूल से निकलकर जूनियर हाई स्कूल होते हुये कालिकाधाम इण्टर कॉलेज मार्ग तक नव निर्माण कार्य।	900	41.36	19.00	लो.नि.वि.
142	वाराणसी भदोही मार्ग से कालिकाधाम कॉलेज वाया बनौली मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य।	2200	105.41	47.00	लो.नि.वि.
143	अनेई कपसेठी से रधुनाथपुर सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य।	1500	72.00	32.00	लो.नि.वि.
144	रधुनाथपुर मार्ग से कालिकाधाम इण्टर कॉलेज लिंक मार्ग।	500	27.39	12.00	लो.नि.वि.
	कुल योग:	**103667**	**6340.35**	**3043.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उक्त तालिका के क्रमांक-12 से 46 एवं 64 से 74 पर इंगित कार्यों पर होने वाले व्यय रु० 753.00 मात्र (रूपये सात करोड़ तिरेपन लाख मात्र) को 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना- 0302-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य, तालिका के क्रमांक- 11 पर इंगित कार्य पर होने वाले व्यय रु० 150.00 मात्र (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) को लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-800-अन्य व्यय-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305- सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य तथा शेष कार्यों पर होने वाले व्यय रु० 2140.00 मात्र (रूपये इक्कीस करोड़ चालीस लाख मात्र) को लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या:18/2026/491(1)/35-4-2025/35-4002(003)/72/2026,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी मंडल ।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, वाराणसी।
15- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, वाराणसी।
16- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

www.shasanadesh.up.gov.in

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।